भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3302

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत आपूर्ति विहीन गाँव

†3302. श्री सुनील बोस:
श्री शफी परम्बिल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विद्युत आपूर्ति विहीन गाँवों की राज्यवार संख्या विशेषकर कर्नाटक विशेषकर मैसूर और चामराजनगर जिलों में संख्या कितनी है और इन गांवों के विद्युतीकरण में आने वाली बाधाएं क्या हैं/इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो वर्तमान में केंद्र सरकार की सहायता से चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च): चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

डीडीयूजीजेवाई का उद्देश्य प्रत्येक आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव को विद्युत से जोड़ना और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना था। सौभाग्य का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक देश में आबाद सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों (कर्नाटक सहित) को विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें कर्नाटक राज्य के 39 गांव शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई तथा तत्पश्चात सौभाग्य के अंतर्गत, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें कर्नाटक राज्य के 3,83,798 घर शामिल हैं। सौभाग्य के दौरान विद्युतीकृत घरों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आरडीएसएस के अंतर्गत, यथा व्यवहार्य प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित घरों तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित घरों सहित 13.65 लाख घरों के लिए 6,521 करोड़ रुपये की ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें कर्नाटक राज्य में 6,903 घरों के विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत 45 करोड़ रुपये शामिल हैं। उपर्युक्त में से, आज तक कुल 3.42 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस स्कीम की समापन तिथि 31 मार्च, 2028 है।

पिछले 3 वर्षों में डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वित घरेलू कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर है। फरवरी, 2026 तक आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का राज्य-वार विवरण, जिसमें निधि परिव्यय एवं जारी राशि का विवरण शामिल है, **अनुबंध-IV एवं V** पर है। कर्नाटक राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरों का जिलावार विवरण **अनुबंध-VI** पर है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युतीकृत गांव

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-II

सौभाग्य के दौरान विद्युतीकृत घर

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिज़ोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

**सौभाग्य स्कीम के तहत वित्त पोषित नहीं किया गया है*

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-III

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत जारी राज्यवार निधि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.96
अरुणाचल प्रदेश	76.11
असम	981.13
बिहार	48.05
छत्तीसगढ़	5.13
हिमाचल प्रदेश	12.52
जम्मू और कश्मीर	158.78
झारखंड	196.69
लद्दाख	8.78
मध्य प्रदेश	2.74
मणिपुर	95.45
मेघालय	99.06
नागालैंड	69.29
ओडिशा	4.88
राजस्थान	157.51
त्रिपुरा	44.24
उत्तर प्रदेश	103.22
पश्चिम बंगाल	49.75
कुल	**2117.29**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-IV

आरडीएसएस के तहत घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
क.	**अतिरिक्त घर**				
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475	15,319
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
3	असम	785.55	706.99	1,27,111	16,748
4	बिहार	238.86	143.32	35,467	0
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078	9,084
6	जम्मू और कश्मीर	106.70	96.03	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853	804
8	केरल	0.33	0.20	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196	21
10	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
12	मिज़ोरम	79.90	71.91	15,167	0
13	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	3,38,702	91,534
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	1,317
	कुल (क)	**4,678.19**	**3,328.60**	**9,41,918**	**134,838**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम**				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**	**0**
ग	**पीएम-जनमन**				
ग 1	**आरडीएसएस के तहत**				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	38.16	22.90	7,077	7,160
3	झारखंड	74.13	44.48	12,442	11,504
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	30,216	27,202
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8,603	7,053
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195

13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
	उप-जोड़ (ग1)	**521.59**	**331.57**	**1,27,987**	**1,21,383**
ग 2	**राज्य योजना के तहत**				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	5,203
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप-जोड़ (ग2)	**0**	**0**	**0**	**15,201**
ग 3	**आरडीएसएस के तहत सार्वजनिक स्थान**				
1	मध्य प्रदेश	0	0	25	20
	उप-जोड़ (ग3)	**0**	**0**	**25**	**20**
	कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	**521.74**	**331.66**	**1,28,012**	**1,36,604**
घ.	**डीए-जेजीयूए**				
घ 1	**आरडीएसएस के तहत**				
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921	4,527
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938	1,579
3	बिहार	61.40	36.84	7,117	752
4	छत्तीसगढ़	218.44	131.06	39,579	15,456
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93	10
6	जम्मू और कश्मीर	89.84	80.85	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	5,288	1,429
9	केरल	5.73	3.44	1,080	248
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	59,172	15,981
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842	492
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525	17,465
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677	6,678
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867	65
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207	157
	उप-जोड़ (घ1)	**1,247.50**	**790.52**	**2,83,558**	**70,067**
घ 2	**राज्य योजना के तहत**				
1	ओडिशा	**0**	**0**	**0**	**0**
	उप-जोड़ (घ2)	**0**	**0**	**0**	**0**
घ 3	**आरडीएसएस के तहत सार्वजनिक स्थान**				
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182	129
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7	3
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650	100
7	राजस्थान	0.70	0.42	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672	0
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512	0
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30	7

11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19	3
	उप-जोड़ (घ3)	18.63	11.92	4,203	251
घ4	**राज्य योजना के तहत सार्वजनिक स्थान**				
1	ओड़िशा	0	0	0	0
	उप-जोड़ (घ4)	0	0	0	0
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	**1,266.13**	**802.44**	**2,87,761**	**70,318**
ङ.	**पीएम-अजय**				
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811	437
2	झारखंड	6.141	3.684	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012	361
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**4,611**	**801**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,521.85**	**4,507.98**	**13,65,139**	**3,42,561**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-V

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों के लिए जारी की गई निधि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये में))
आंध्र प्रदेश	43.15
अरुणाचल प्रदेश	13.20
असम	193.03
बिहार	53.02
छत्तीसगढ़	11.28
हिमाचल प्रदेश	0.54
जम्मू और कश्मीर	10.21
झारखंड	22.54
कर्नाटक	5.34
केरल	1.97
मध्य प्रदेश	102.43
महाराष्ट्र	16.70
मणिपुर	0.00
मेघालय	0.00
मिज़ोरम	0.00
नागालैंड	17.09
राजस्थान	11.92
तमिलनाडु	8.83
तेलंगाना	35.65
त्रिपुरा	45.29
उत्तर प्रदेश	106.74
उत्तराखंड	0.49
कुल	**699.43**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3302

अनुबंध-VI

कर्नाटक के लिए आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरों का जिला-वार विवरण

डीएजेजीयूए				
डिस्कॉम	**जिला**	**कुल घरों की संख्या**	**संस्वीकृति लागत (लाख में)**	**प्रगति (घरों की संख्या)**
सीईएससी	मैसूर	497	319.36	497
	चामराजनगर	2510	3633.07	428
	कोडागु	675	644.48	231
पीवीटीजी				
डिस्कॉम	**जिला**	**कुल घरों की संख्या**	**संस्वीकृति लागत (लाख में)**	**प्रगति (घरों की संख्या)**
सीईएससी	मैसूर	805	185.17	852
	चामराजनगर	197	45.31	176
	कोडागु	604	138.93	509

****